HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc. 4th Suspension Of Sentence Application (Appeal) No. 305/2026
CNR: RJHC020137462026 | URN: SOSA / 630U / 2026

Vishnu S/o Deendayal, Aged About 23 Years, R/o Tijara Alwar (Rajasthan) (Presently Confined In Central Jail-Alwar)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.p

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Amitabh Vijaywargia, Adv.
For Respondent(s)	:	Ms. Manju Dave, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

19/08/2026

प्रार्थी–अपीलार्थी बाल अपचारी की ओर से धारा **430 बीएनएसएस** के अंतर्गत प्रस्तुत चतुर्थ सजा स्थगन/जमानत आवेदन पर दोनों पक्षों को सुना गया। अधीनस्थ विचारण न्यायालय के आलोच्य निर्णय एवं पत्रावली पर उपलब्ध कानूनी व तथ्यात्मक स्थिति पर विचार किया गया।

प्रार्थी–बाल अपचारी को विद्वान विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं बालक संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 क्रम–3, अलवर द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 07/2020 में पारित निर्णय दिनांक 22.04.2022 के माध्यम से धारा 376डी भा.दं.सं. में दोषसिद्ध करार देते हुए बीस वर्ष के कठोर कारावास तथा अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–बाल अपचारी का निवेदन है कि वह निर्दोष है, प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं था, पीडिता 35 वर्षीय महिला है जिसके निजी अंगों में चोट के निशान नहीं थे, बाल–अपचारी को दोषसिद्ध किये जाने हेतु पत्रावली पर कोई ठोस व विश्वसनीय सामग्री नहीं रही है, वयस्क

सह–अभियुक्त दीपक उर्फ सेठी का दण्डादेश समकक्ष पीठ द्वारा दिनांक 08.02.2021 को ही स्थगित किया जा चुका है, वर्तमान प्रार्थी–बाल अपचारी की अभिरक्षा अवधि पांच वर्ष हो चुकी है, अपील के निस्तारण में समय लगेगा, अतः चतुर्थ सजा स्थगन आवेदन स्वीकार करते हुए सजा स्थगित किये जाने का निवेदन किया।

योग्य लोक अभियोजक ने अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए सजा स्थगन आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

सुना गया एवं समस्त तथ्यों पर विचार किया गया।

वर्तमान मामले में विधि से संघर्षरत किशोर के विरूद्ध जघन्य अपराध होने से विद्वान किशोर न्यायालय द्वारा वयस्क की भांति विचारण किया गया है, बाल अपचारी तथा अन्य सह–अभियुक्त दीपक के विरूद्ध यह आरोप रहा है कि उनके द्वारा 35 वर्षीय पीडिता के साथ बंदूक की नोक पर सामूहिक रूप से बारी–बारी बलात्कार किया गया। सह–अभियुक्त दीपक उर्फ सेठी की अभिरक्षा अवधि 5 वर्ष होने के उपरान्त समकक्ष पीठ द्वारा उसका दण्डादेश स्थगित किया गया था, पूर्व में वर्तमान अभियुक्त का प्रथम दण्डादेश स्थगन आवेदन वापिस लिये जाने तथा द्वितीय व तृतीय सजा स्थगन आवेदन अन्य परिस्थितियों के साथ–साथ उसकी अभिरक्षा अवधि पांच वर्ष से भी कम होने से खारिज किये गये।

यद्यपि प्रार्थी–बाल अपचारी को अधिकतम 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया गया है, लेकिन जहां वयस्क सह–अभियुक्त का दण्डादेश स्थगित हो चुका है तथा प्रार्थी–अपीलार्थी बाल अपचारी है तथा उसकी अभिरक्षा अवधि भी पांच वर्ष हो चुकी है, निकट भविष्य में अपील के निस्तारण की संभावना नहीं है।

अतः प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अपीलार्थी द्वारा सजा स्थगन प्रार्थना पत्र के समर्थन में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये तर्कों, प्रस्तुत अपील में उठाये गये कानूनी मुद्दों, अभियुक्त की न्यायिक अभिरक्षा अवधि आदि को ध्यान में रखते हुए, गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः यह चतुर्थ सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी–अभियुक्त **विष्णु पुत्र दीनदयाल** इस न्यायालय में **दिनांक 22.09.2026** को एवं तत्पश्चात जब भी उसे आदेशित किया जावे, अपनी उपस्थिति हेतु **एक लाख रूपये** का बंधपत्र एवं **पचास–पचास हजार रूपये** की दो जमानतें विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जावे एवं विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय **दिनांकित 22.04.2022** के तहत प्रार्थी–अभियुक्त बाल अपचारी के संबंध में दिये गये **दण्डादेश** का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय होने तक स्थगित रखा जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J

2/Mittal